[2021] 2 एस. सी. आर 1181

जगमोहन सिंह ढिल्लन इत्यादि

बनाम

सतवंत सिंह और अन्य इत्यादि

(सिविल अपील सं। 4616-4618 2010)

26 मार्च, 2021

[न्यायमूर्तिगण अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर और हेमंत गुप्ता]

सेना सेवा: भूतपूर्व सैनिक-दिनांकित नियुक्ति आदेश द्वारा 01.05.1982 पर जारी विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्त अपीलार्थी

18.03.1986 – क्या उसके निर्धारण के लिए अपीलार्थी वरिष्ठता आर के लाभ के लिए हकदार थी। 4 1972 के नियम-आयोजित: 1972 के नियमों के आर. 4 में प्रावधान है कि आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए गिनी जाएगी, जो प्रावधान अब आर में जारी नहीं रखा गया था। 4 1982 के नियम-अपीलार्थी को 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद नियुक्त किया गया था-इसलिए, वह वरिष्ठता के उद्देश्य से सैन्य सेवा के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है। 4 (1) 1972 के नियमों को 1982 के नियमों में जारी नहीं रखा गया था-उनकी वरिष्ठता को 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद लागू वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना था-भारतीय सशस्त्र बलों को विघटित किया गया

कार्मिक (पंजाब सिविल सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) कार्यकारी शाखा नियम, 1972 - आर. 4-पंजाब की भर्ती

भूतपूर्व सैनिक नियम, 1982।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. 1972 के नियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए एक अन्य नियम, अर्थात् पंजाब (पूर्व सैनिकों की भर्ती) नियम, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1972 के नियमों के नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए मानी जाएगी, जो प्रावधान अब 1982 के नियमों के नियम 4 में जारी नहीं था, हालांकि, रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान को पंद्रह प्रतिशत रिक्तियों तक बनाए रखा गया था।

[पैरा 10,11] [1186-जी; 1187-ई-एफ]

2. वरिष्ठता के निर्धारण का सवाल तभी आता है जब कोई व्यक्ति सेवा में प्रवेश करता है और सेवा का सदस्य बन जाता है।

सेवा करते हैं। 1972 के नियमों के तहत, यह नहीं माना जा सकता है कि यह तथ्य कि 1982 के नियमों के प्रवर्तन से पहले रिक्तियां मौजूद थीं, और 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति, वह नियम 4 के लाभ का हकदार होगा, यानी, अपनी वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए अपनी सैन्य सेवाओं को जोड़ने का, विशेष रूप से जब 1972 के नियमों के नियम 4 के तहत वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध लाभ अब 1982 के नियमों के तहत जारी नहीं है। [पैरा 15] [11859-सी-डी]

3. 1982 नियम विशेष रूप से 1972 के नियमों को निरस्त कर देते हैं, इस प्रकार, 1972 के नियम 4 में वरिष्ठता के लाभ का प्रावधान किया गया है।

1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद नियुक्त किए गए कर्मियों के लिए सेना सेवा के अधिकारी अब वरिष्ठता के लिए गिने जाने के हकदार नहीं थे। 1982 के नियमों के तहत, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 1972 के नियमों के नियम 4 के तहत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को जो लाभ उपलब्ध था, वह जारी है या उन पर कोई अधिकार अर्जित किया गया है।

1972 के नियमों के तहत अपीलार्थी जिसे वह वरिष्ठता के संबंध में प्राप्त करने का हकदार है। [पारस 16,19] [1189-ई; 1190-ई-एफ]

आर. के. बरवाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2017) 16 एस. सी. सी. 803: [2017] 9 एससीआर 671

संदर्भित किया गया है

4. डिवीजन बेंच ने सही विचार रखा है कि नियम 9 (3) के तहत बचत खंड से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है।

अपीलार्थी क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वरिष्ठता के लिए सेना की सेवाओं के लिए वेटेज का कोई भी अधिकार उसके सेवा में शामिल होने से पहले ही अर्जित हो चुका है। नियम 9 (3) में बचत खंड का लाभ अपीलार्थी द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। [पैरा 21] [1191-ए-बी]

5. अपीलार्थी पंजाब सिविल में नियुक्ति के लिए वरिष्ठता के उद्देश्य से सैन्य सेवा के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था।

1972 के नियमों के नियम 4 (1) के लाभ के बाद से 1982 के नियमों में सेवा (कार्यकारी शाखा) जारी नहीं रखी गई थी। उनकी वरिष्ठता 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद लागू वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित की जानी थी। [पैरा 23] [1191-डी]

ईश्वर सिंह और अन्य बनाम। लिखित में पंजाब राज्य

1995 की याचिका सं. 3236-लागू नहीं की जा सकने वाली जगमोहन सिंह ढिल्लन बनाम।

सतवंत सिंह

पंजाब राज्य और अन्य v. डॉ. बलबीर भारद्वाज,

2004 का एल. पी. ए. No.168,29.01.2007 पर तय किया गया

- प्रतिष्ठित

मामला कानून संदर्भ

[2017] 9 एससीआर 671 संदर्भित किया गया है पैरा 17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 4616

4618 2010 का उच्च न्यायालय के 28.07.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के एल. पी. ए. संख्या 19 और एल. पी. ए. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा

2008 का सं. 20 और 2007 का एल. पी. ए. सं. 212।

गुरमिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गुरूर संधू, आयुष चौधरी,

देवांशु यादव, डी. महेश बाबू, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

करण भरीहोक, सुश्री नेहा सहाय भरीहोक, सिद्धांत शर्मा,

विनीत भगत, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण के द्वारा दिया गया था

1. ये अपीलें डिवीजन बेंच के खिलाफ दायर की गई हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 in

2007 का एल. पी. ए. No.213 और 2007 का एल. पी. ए. No.177। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से पंजाब राज्य द्वारा दायर एल. पी. ए. को अनुमति दी है और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया है और हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

2. इन पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

अपीलें इस प्रकार हैं:

आई.

अपीलार्थी पूर्व सैनिक हैं, जो रिहा होने के बाद

सेना से पंजाब सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे (कार्यकारी शाखा)। नियम बनाए गए थे अर्थात्

विघटित भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक (आरक्षण)

पंजाब सिविल सेवा में रिक्तियों की संख्या) (कार्यकारी

शाखा) नियम, 1972, जिसके तहत नियम बीस प्रतिशत हैं

शाखा) से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था रिहा किए गए भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों में से, जो सैन्य सेवा में शामिल हुए या उन्हें या उसके बाद कमीशन दिया गया

नवंबर, 1962 का पहला दिन। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए नियम, 1972 के तहत रिक्तियां 1979 से 1981 तक थीं। नियमों का एक और समूह बनाया गया जिसका नाम पंजाब था।

ii.

भूतपूर्व सैनिक नियम, 1982 की भर्ती जो 12.02.1982 पर राजपत्रित की गई थी। प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में से पंद्रह प्रतिशत पूर्व सैनिकों द्वारा भर्ती में भरे जाने के लिए आरक्षित थे। 1982 के नियमों द्वारा, उपरोक्त उल्लिखित नियम 1972 को निरस्त कर दिया गया था। अ.

विज्ञापन संख्या 2 पंजाब सिविल के पद का विज्ञापन सेवा (कार्यकारी शाखा)। यह परीक्षा वर्ष 1985 में आयोजित की गई थी और अपीलार्थियों को पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी) के लिए दिनांक 1 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था।

शाखा)। वरिष्ठता सूची वर्ष 1994 में जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी को सेना में पहले की सेवाओं का कोई लाभ दिए बिना वरिष्ठता S.No.25 तय की गई थी। अपीलार्थी ने गलत के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया

iii.

उनकी वरिष्ठता का निर्धारण। अपीलार्थी ने 2001 की एक रिट याचिका No.8069 दायर की। रिट याचिका में, अपीलार्थी ने दावा किया कि 1972 के नियमों के नियम 4 के अनुसार सैन्य सेवाओं का लाभ देकर उसकी वरिष्ठता को फिर से तय किया जाए। अपीलार्थी की रिट याचिका को अन्य तीन रिट

याचिकाओं के साथ लिया गया और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसकी अनुमति दी गई।

अदालत ने अपने दिनांकित 31.07.2007 के फैसले को देखा।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी होंगे

iv.

1972 के नियमों के तहत नियुक्त माना जाता है और वहां से आने वाले लाभ 1972 के नियमों के अनुसार अपीलार्थी को स्वीकार्य होंगे। 1995 की रिट याचिका No.3236, ईश्वर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरोसा किया था। के खिलाफ नाराजगी जताई

पंजाब राज्य के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2007 का एल. पी. ए. No.213 दायर किया। 2008 के एल. पी. ए. No.19 और 2008 के एल. पी. ए. No.20 का निर्णय 2007 के एल. पी. ए. No.213 के साथ दिनांक 28.07.2009 की खंड पीठ के निर्णय और आदेश द्वारा किया गया था। पंजाब राज्य द्वारा दायर एल. पी.

अनुमति दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित,

ये अपीलें दायर की गई हैं।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गुरमिंदर सिंह को सुना है। श्री करण भरीहोके पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए हैं और श्री विनीत भगत प्रतिवादी संख्या के लिए पेश हुए हैं। 1 4 तक।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि जिन रिक्तियों के खिलाफ अपीलार्थियों को वर्ष 1986 में नियुक्त किया गया था

वे रिक्तियां थीं जो 1982 के नियमों के प्रवर्तन से पहले अस्तित्व में थीं, इसलिए 1972 के नियम लागू थे और अपीलार्थी नियम 4 के लाभ के हकदार थे, यानी उनकी वरिष्ठता का निर्धारण सैन्य सेवाओं के लाभ को देते हुए किया जाना है जो वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए गिना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की रिट याचिका को उचित रूप से अनुमति दी है।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से

1995 की रिट याचिका No.3236 में ईश्वर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ने पहले ही कहा है कि

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण, 1972 नियम लागू होंगे और रिक्तियों का आरक्षण 1972 के नियमों के अनुसार बीस प्रतिशत होगा न कि 1982 के नियमों के अनुसार पंद्रह प्रतिशत। वह प्रस्तुत करता है कि निर्णय अंतिम हो गया है और यह राज्य के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए 1972 के नियम लागू नहीं होंगे।

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान मामले में,

विज्ञापन 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद जारी किया गया था और अपीलार्थी ने विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था जो जारी किया गया था। 1982 के नियमों के तहत और परीक्षा और चयन सूची प्रकाशित की गई और उसके बाद वर्ष 1986 में ही अपीलार्थी की नियुक्ति की गई। वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, अपीलार्थी 1972 के नियमों पर भरोसा नहीं कर सकता है। 1972 के नियम 4 के तहत जो लाभ उपलब्ध था, वह अब उपलब्ध नहीं है।

1982 के नियमों के तहत, इसलिए, 1982 के नियमों के तहत नियुक्त पूर्व सैनिकों की वरिष्ठता का निर्धारण पी. सी. एस. (कार्यकारी), यानी पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1976 पर लागू नियमों के अनुसार किया जाना है।

7. प्रत्यर्थी Nos.1 से 4 के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी संख्या। 1 4 पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. इस अपील में एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने और उसका उत्तर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी अपने निर्णय के लिए वरिष्ठता 1972 के नियमों के नियम 4 के लाभ के लिए हकदार थी। का नियम 4

1972 निम्नलिखित रूप में दिए गए नियमः -

4. (1) नियम 2 के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त करने के बाद प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि को इस प्रकार गिना जाएगा -

वेतन

वरिष्ठता का निर्धारण

और

सेवानिवृत्ति

लाभ

उक्त सेवा में वेतन और वरिष्ठता का निर्धारण, इस शर्त के अधीन कि -

(अ)

पी. सी. एस. (कार्यकारी) में नियुक्ति की तिथि

शाखा) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जिन्हें नियम 2 के तहत आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जाता है, इस धारणा पर निर्धारित किया जाएगा कि वे सबसे पहले राज्य सरकार के अधीन सेवा

सैन्य सेवा में शामिल होने के बाद उन्हें अवसर मिला।

या आयोग से पहले प्रशिक्षण;

सैन्य कर्मियों की अंतर वरिष्ठता

(ख)

पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्य बाधित नहीं होगा।

पहले के परिणामस्वरूप नियुक्त एक सैन्य कर्मी

((ग)

बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किया गया चाहे उसकी सैन्य सेवा की अवधि कुछ भी हो

ऋण; और

((घ)

आरक्षित के विरुद्ध नियुक्त सभी उम्मीदवार

नियम 2 के तहत रिक्तियां उस वर्ष में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों से नीचे होंगी, जिस वर्ष पूर्व उम्मीदवारों को आवंटित किया गया है।

10. 1972 के नियमों को अनुच्छेद 304 और 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए एक अन्य नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत का संविधान, अर्थात् पंजाब (भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती) नियम, 1982। 1982 के नियमों का नियम 4 निम्नलिखित प्रभाव से है: -

4. रिक्तियों का आरक्षण। (1) नियम 3 के प्रावधान के अधीन, पंद्रह प्रतिशत रिक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से भरा जाएगा सभी
राज्य सिविल सेवाओं और संबंधित पदों में नियुक्ति

पंजाब राज्य के कार्य भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित होंगे। " बशर्ते कि जहां कोई भूतपूर्व सैनिक किसी आरक्षित रिक्ति पर भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी रिक्ति उपलब्ध होगी।

किसी पूर्व सैनिक की पत्नी या एक आश्रित बच्चे की भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाए, जिसे न तो भर्ती किया गया है।

आरक्षित रिक्ति के खिलाफ भर्ती और न ही भर्ती के लिए पात्र है

इन नियमों के तहत ऐसी रिक्ति के खिलाफ;

" बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या किसी विशेष पद में भरे जाने वाले पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वर्ष "।

(2) जहां इन नियमों के तहत भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति खाली रहती है, तो ऐसी रिक्ति को भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अनुसार किसी अन्य स्रोत से अस्थायी रूप से भरा जा सकता है जैसे कि रिक्ति थी। आरक्षित नहीं है;

बशर्ते कि इस प्रकार भरी गई आरक्षित रिक्ति को इस अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले बाद के अवसरों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

कम से कम दो वर्ष जिनमें से प्रत्येक में ऐसा अवसर उत्पन्न होता है

भर्ती, जहाँ प्रश्न में रिक्ति के बाद माना जाएगा

गैर-आरक्षित के रूप में "।

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1972 के नियमों के नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि आरक्षित के खिलाफ नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधिवेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए गणना की जाएगी, जो प्रावधान 1982 के नियमों के नियम 4 में लंबे समय तक जारी रहा, हालांकि, रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान को पंद्रह तक बनाए रखा गया था।

रिक्तियों की संख्या। 1982 के नियम 10 में निरसन का प्रावधान है,

एच इस प्रकार है: -

“ 10. निरसन-निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

1. पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत)

नियम, 1965;

2. विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (का आरक्षण)

पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवा) नियमों में रिक्तियां,

3. विघटित भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक (पंजाब सिविल सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) (कार्यकारी शाखा)

नियम, 1972; और

4. रिहा किए गए भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मी (निर्धारण)

पदोन्नति के लिए पात्रता) नियम, 1977 "।

12. अभिलेख पर लाए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस विज्ञापन के खिलाफ अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था, वह 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद 01.05.1982 पर जारी किया गया था। अपीलार्थी की नियुक्ति विज्ञापन के अनुसरण में दिनांक 18.03.1986 के नियुक्ति आदेश द्वारा की गई थी। हालाँकि 1972 के नियमों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन 1982 के नियमों में, नियम 9 (3) के अनुसार, 1982 के नियमों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं माना जाना था जो नियमों के तहत अर्जित हुआ था।

नियम 1982 के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू। 1982 के नियमों के प्रवर्तन से पहले, 1972 के नियमों को लागू किया गया था।

13. W.P.No.3236 में विद्वान एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है।

1982 के नियमों में निहित भूतपूर्व सैनिकों का लाभ उन रिक्तियों के संबंध में लागू होगा जो 1982 के प्रवर्तन से पहले उत्पन्न हुई थीं। नियम। फैसले के पैराग्राफ 50 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: -

" 50. उपरोक्त दोनों निर्णय याचिकाकर्ताओं का पूरी तरह से समर्थन करते हैं

यह तर्क कि रिक्तियों में आरक्षण कोटा, जो 12.02.1982 से पहले हुआ था, पूर्व के लिए 20 प्रतिशत होगा। सैनिक और 12.02.1982 से यह 15 प्रतिशत होगा। द.

1972 के नियमों के साथ-साथ 1982 के नियमों के तहत 1984 के संशोधन से पहले तक नियम को आगे बढ़ाना चार साल की अवधि थी और

इसे 1984 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, जो 30 अप्रैल, 1984 से लागू हुआ था। इसलिए, जब भर्ती के लिए आईडी1 पर विज्ञापन दिए गए थे, तो 1979 से 1982 तक बची हुई रिक्तियों को ध्यान में रखा जाना था और इसी तरह उसके बाद हुई रिक्तियों को भी 10 प्रतिशत या

15 प्रतिशत का प्रासंगिक कोटा प्रदान करने के लिए नहीं लिया जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पदों के आधार पर पूर्व की श्रेणी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सैनिक। द.

30 अप्रैल, 1984 को या उसके बाद होने वाली रिक्तियां होंगी।

1984 के संशोधित नियमों के आधार पर आगे बढ़ाया गया। जबकि पहले खाली रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा 1972 और 1982 के गैर-संशोधित नियम।

15. उपरोक्त प्रस्ताव को वरिष्ठता के निर्धारण तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। वरिष्ठता के निर्धारण का सवाल ही आता है एक व्यक्ति के सेवा में प्रवेश करने और सेवा का सदस्य बनने के बाद। 1972 के नियमों के तहत, यह नहीं माना जा सकता है कि यह तथ्य कि 1982 के नियमों के प्रवर्तन से पहले रिक्तियां मौजूद थीं, और 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति, वह नियम 4 के लाभ का हकदार होगा, अर्थात, अपने उद्देश्यों के लिए अपनी सैन्य सेवाओं को जोड़ने का।

जिस न्यायालय ने केवल सेना के कर्मियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत निर्धारित किया था, उसे वर्तमान मामले के तथ्यों में वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। 17. हम आर. के. बरवाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2017) में इस न्यायालय के फैसले को देख सकते हैं।

16 एससीसी 803। इस न्यायालय को उपरोक्त मामले में विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (एच. पी. राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसमें नियम 5 में अनुमोदित सैन्य सेवा की गिनती निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया था। नागरिक पद में शामिल होने पर वरिष्ठता। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपातकालीन अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले व्यक्ति बनाम सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले व्यक्ति

'शांतिकाल' के दौरान, एक उचित वर्गीकरण और लाभ है जो [2021] 2 एस. सी. आर. के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता जोड़ने के लिए उपलब्ध था।

सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आपातकाल का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

शांतिकाल।

18. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वरिष्ठता निर्धारित करने का सामान्य नियम सेवा में प्रवेश की तारीख के संदर्भ में है और इस नियम से हटने का बहुत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। पैराग्राफ 27 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं: -

" 27 ..... आखिरकार, यदि प्रदान की जाने वाली सशस्त्र बल सेवाओं का लाभ वरिष्ठता के उद्देश्य से प्रत्येक पूर्व सैनिक को दिया जाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस संबंध में उदाहरण निजी उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय वरिष्ठता निर्धारित करने के सामान्य नियम से पीछे नहीं हट सकता है, जैसा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट

क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन के साथ-साथ अघोर नाथ डे के मामलों में कहा गया है, यानी सेवा में एक अधिकारी की वरिष्ठता सेवा में उसके प्रवेश की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता के अनुरूप है। इस नियम से हटने के बहुत भारी कारण होने चाहिए। अन्यथा, यह कई बनाने से संतुलन को बाधित कर सकता है

ऐसे पूर्व सैनिकों की तुलना में जूनियर की सीधी भर्तियां तब भी की जाती हैं जब ऐसी सीधी भर्तियां पूर्व सैनिकों की तुलना में बहुत पहले सिविल पदों पर सेवाओं में शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार, केवल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में नियुक्त किए गए लोगों को ही इस तरह का लाभ देने के लिए बनाई गई एक असाधारण श्रेणी का विस्तार प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं किया जा सकता है

भूतपूर्व सैनिक केवल इसलिए कि उसने सशस्त्र बलों में सेवा की है।

19. 1982 के नियमों के तहत, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 1972 के नियमों के नियम 4 के तहत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को जो लाभ उपलब्ध था

अपीलार्थी को 1972 के नियमों के तहत जारी रखा गया है या कोई अधिकार अर्जित किया गया है जिसे वह वरिष्ठता के संबंध में प्राप्त करने का हकदार है।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांकित 31.07.2007 के फैसले में ईश्वर सिंह के मामले पर बहुत अधिक भरोसा किया है जिसमें कहा गया है कि

रिक्तियों का आरक्षण, यानी 1972 के नियम लागू किए गए हैं, वरिष्ठता के निर्धारण के लिए 1972 के नियमों को भी लागू करने की आवश्यकता है। रिक्तियों का प्रतिशत जो सशस्त्र बलों के लिए आरक्षित हैं

कार्मिकों की गणना 1972 के नियमों के अनुसार की गई थी क्योंकि रिक्तियां 1982 के नियमों से पहले हुई हैं। ईश्वर सिंह में विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो पूरी तरह से एक अलग अवधारणा है और वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति के समय लागू वरिष्ठता नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। कर्मचारियों से। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह विचार कि अपीलार्थी को 1972 के नियमों के तहत नियुक्त माना जाएगा, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

21. डिवीजन बेंच ने उचित रूप से यह विचार रखा है कि नियम 9 (3) के तहत बचत खंड अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं देता है क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वरिष्ठता के लिए हथियार सेवाओं के लिए वेटेज का कोई अधिकार पहले से ही सेवाओं में शामिल होने से पहले अर्जित हो चुका है। नियम 9 (3) में बचत खंड का लाभ अपीलार्थी द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। हम विवादित खंड पीठ के उपरोक्त दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

आदेश दें। 22. अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय पंजाब राज्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय है और अन्य बनाम डॉ. बलबीर भारद्वाज, 2004 के एल. पी. ए. No.168 ने 29.01.2007 पर निर्णय लिया, जिसे खंड पीठ ने विवादित फैसले में सही माना है।

23. हम, इस प्रकार, यह मानते हैं कि अपीलार्थी नियुक्ति के लिए वरिष्ठता के उद्देश्य से सैन्य सेवा के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था। पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) को 1972 के नियमों के नियम 4 (1) के लाभ के बाद से 1982 के नियमों में जारी नहीं रखा गया था। उनकी वरिष्ठता 1982 के नियमों के प्रवर्तन के बाद लागू वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित की जानी थी।

24. हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

देविका गुजराल